राजस्थान में राज्य स्तरीय राजस्व प्रशासन

डॉ. प्रकाश इन्दालिया – सह आचार्य(लोक प्रशासन), माधव विश्वविद्यालय,पिण्डवाडा (सिरोही)

E-mail – dr.prakashindalia@gmail.com

सारांश: प्राचीनकाल से ही प्रशासन का मुख्य स्तम्भ राजस्व प्रशासन रहा है। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और अधिकतर जनता को सामाजिक न्याय भी यही विभाग देता रहा है। सदियों पूर्व यही जनता या काश्तकार शासकों, जागीरदारों तथा महाजनों के चंगुल में फंसकर भूख और गरीबी में जीवन व्यतीत करती रही है। भूमिपति तथा सूदखोर, जो कुछ वह (किसान) पैदा करता उसका आधे से अधिक ले लेते थे। सर डेनियल हेमिल्टन ने ठीक ही लिखा है भारत मे स्याही से लिखे कानून है बल्कि गांव के महाजन के खून से लिखे कानून है। एक बुरी तरह लदे हुए जानवर की तरह वह पीढियों से वह सर्दी, गर्मी, बरसात में रात दिन अपनी भूमि जोतता रहा, सिर्फ इसलिए कि लाटे आने पर वह अपनी मेहनत के फल से वंचित रह सके। दूसरा वर्ग उसके पसीने की कमाई पर गुलछर्रे उडाता रहा परन्तु वह हमेशा भूखा, नंगा व उपेक्षित रहा। इस प्रकार पीडित, आतंकित व शोषित रहने के कारण उसका हमेशा भाग्यवादी बना रहना स्वाभाविक था। साधु फकीर उसको उपदेश देते रहे कि यह तो उसके पूर्व जन्मों का फल है। इस प्रकार वे सब बातें वह ईश्वर की इच्छा समझ कर बर्दाश्त करता रहा। अंग्रेजों ने भी उसकी वास्तविक हालत को जानने व सुधारने का सच्चा प्रयत्न नहीं किया। स्वतन्त्रता उपरान्त भारत सरकार द्वारा राज्यों में राजस्व प्रशासन को संगठित कर उसको किसानों के विकास एवं भूमि सुधार करने तथा कृषक को सम्मानजनक जीने के लिए अधिकार दिये। उसे खुदकाश्त हेतु भूमि उपलब्ध करवाई, उसे भूमि पर स्वेच्छा से विकास करने हेतु अधिकार प्रदान किये अब उसे भूमि से बेदखली की कोई चिन्ता नही है, क्योकि आज काश्तकार व सरकार के बीच में सभी बिचौलिये समाप्त हो गये है तथा उसकी रक्षार्थ राजस्व प्रशासन सदैव तैयार रहता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक की सभी राष्ट्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों, सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने में तथा सफलता में राजस्व प्रशासन का बहुत बडा योगदान रहा है।राजस्थान मे राजस्व प्रशासन का संगठन विभिन्न स्तरों से मिल कर बना है जिसमें शीर्ष स्तर पर राजस्व विभाग तथा सलाहकार व स्वतन्त्र परामर्शक निकाय के रूप में सर्वोच्च स्तर पर राजस्व मण्डल कार्य करता है जो राजस्व न्यायिक मामलों का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है।

कुंजी शब्द: राजस्व, प्रशासन, प्रशासनिक, मण्डल,

प्रस्तावना :

भारत में राजस्व प्रशासन प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण आधार एवं प्रभावशाली अंग रहा है। यह भारतीय प्रशासन का विराट एवं विशालकाय रूप है। जिसका आधार प्रत्येक ग्राम स्तर से लेकर तहसील, उपखण्ड, जिला, सम्भाग एवं राज्य स्तर पर विभिन्न स्तरों पर विद्यमान है। जिनका संवेदनशील प्रशासन का यह रूप सफल रहा है। अन्य कोई भी विभाग प्रशासनिक स्तर पर इसकी बराबरी नहीं कर सकता।

सामान्यतः प्राचीन काल से ही भूमि से प्राप्त कर ही राजस्व का सबसे बड़ा भाग रहता आया है। अतः राजस्व प्रशासन को केवल राजस्व संग्रह एजेन्सी के रूप में मान कर उसका मूल्यांकन किया जाता है। परन्तु वर्तमान में अन्य कराधान से प्राप्त आय राजस्व से कहीं अधिक है परन्तु क्योंकि भू–राजस्व का सम्बन्ध कृषक या भूमिधारक से है, तथा देश की जनता का अधिकांश भांग कृषि आधारित है अतः राजस्व प्रशासन जनता के अधिक निकट एवं सम्पर्क में रहता है। तथा वर्तमान में राजस्व प्रशासन द्वारा ऐसे अनगिनत कार्य किये जाते है जो लोक कल्याणकारी प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में राजस्व प्रशासन में भू–राजस्व की अपेक्षा राहत, सहायता, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, कानून व्यवस्था, निर्वहन व अन्य विकास सम्बन्धी कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गये है।

राजस्व प्रशासन एक ओर काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करता है व उसकी अभिरक्षा करते हुए भूमि एवं उसके उत्पादन से जुड़ी हुई राष्ट्रीय योजनाओं का प्रमुख आधार तैयार करता है तथा योजनाओं का ग्राम स्तर तक

क्रियान्वयन भी करवाता है। दूसरी ओर यह जिला, उपखण्ड, तहसील, पटवार वृत्त व ग्राम तक प्रशासनिक व कानून व्यवस्था बनाए रखता है। तीसरे यह भूमि एवं राजस्व सम्बन्धी मामलों में न्याय प्रदान करने का दायित्व भी वहन करता है। ये सभी अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। अतः भू–राजस्व प्रशासन को "त्रिवेणी" के रूप में भी देखा जा सकता है।

एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के भूमि सम्बन्धी अधिकारों व हितों की रक्षा करे। भूमि सम्बन्धी विवादों को निपटाये तथा ऐसे विवादों से उत्पन्न शांति–भंग के खतरे को टालने की व्यवस्था करे। हर व्यक्ति अपनी भूमि पर काबिज रहे, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न हो, निर्धारित भू–राजस्व नियमित मिलता रहे, जन सुविधाओं व जन आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु सुधार सम्भव हो, भूमिहीनों को भूमि आवंटन, नियमन आदि हो सके, अभिलेख आदिनांक रहे। भूमि सम्बन्धी इन्हीं सब समस्याओं को प्रबंधन या व्यवस्था का दायित्व राज्य प्रशासन के अन्तर्गत राजस्व प्रशासन द्वारा सम्पादित किया जाता है।

राजस्थान में राजस्व प्रशासन के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर, सम्भाग, जिला, उपखण्ड, तहसील, पटवार वृत्त आदि स्तर पर विभाजित किया गया है। अतः इस शोध में राजस्थान के राजस्व प्रशासन को राज्य स्तर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन की दृष्टि से राज्य स्तर पर राजस्व प्रशासन के संगठन/इकाई/कार्यालयों को दो भागों में विभाजित किया गया है –

1. राजस्व मन्त्रालय
2. राजस्व मण्डल

(1) राजस्व मन्त्रालय (राजस्व विभाग, राजस्थान):

राज्य सरकार का राजस्व प्रशासन का समस्त नियन्त्रण राजस्व विभाग जो सचिवलाय, जयपुर में स्थित है सरकार द्वारा राजस्व क्षेत्र के प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारियों के पदों का गठन, नियुक्ति, पदोन्नति, सेवा शर्तें, नियन्त्रण यिा जाता है। राजस्व विभाग कार्यपालक रूप में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है परन्तु राजस्व प्रशासन में राजस्व मण्डल अजमेर प्रशासनिक कार्यों का क्रियान्वयन तथा न्यायिक कार्यों का संचालन करता है। राजस्व विभाग, राजस्थान राजस्व मण्डल की परामर्श या सलाह को मानकर उसे सरकारी अमलीजामा पहनाते है अर्थात् राजस्थान में राजस्व प्रशासन से संबंधित अधिनियम, नियम, कानूनों का निर्माण व संशोधन राजस्व मण्डल द्वारा किया जाता है परन्तु राजस्व विभाग उन अधिनियमों, नियमों, कानूनों को सरकार की तरफ से स्वीकृति देकर राजपत्र में प्रकाशित करवाता है उसके पश्चात् ही वे कानून बनते है तथा समस्त राज्य में प्रवृत होते है।

संगठन:

राजस्थान में राजस्व विभाग का अध्यक्ष राजस्व मन्त्री होता है। राजस्व विभाग का प्रशासनिक अधिकारी सचिव राजस्व विभाग होता है। इसे सचिव, शासन सचिव या उप शासन सचिव भी कहा जाता है। इसके अधीन विभिन्न अनुभाग होते है जिनको विभिन्न कार्य वितरित किया हुआ होता है। प्रत्येक अनुभाग एवं उप सचिव के अधीन होता है। इनेक अधीन अवर सचिव, सहायक सचिव, अधीक्षक, सेक्शन ऑफिसर, लेखाकार, वरिष्ठि लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य करते है।

(2) राजस्व मण्डल:

राजस्थान पूर्व में भिन्न–भिन्न संधि पत्रार्न्गत राज्यों में राजस्व विभाग रेवेन्यू सदस्य व राजस्व मंत्री के अधीन था। बड़ी–बड़ी रियासतों जेसे – उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर व जोधपुर में राजस्व मण्डल के तहत राजस्व विभाग के अधिकारी विभागाध्यक्ष की हैसियत से राजस्व विभाग का संचालन करते थे किन्तु विलीनीकरण के बाद समस्त राजस्थान के लिए एक ही राजस्व मण्डल की स्थापना हेतु अध्यादेश क्रमांक 12/1949 दिनांक 12.08.1949 के तहत की गई। इसके तहत राज्यादेश सं. 905/7/49 दिनांक 26.10.49 राज्य पत्र विशेषांक सं. 92 दिनांक 28.10.49 के द्वारा दिनांक 01.11.1949 को विधिवत राजस्व मण्डल राजस्थान की स्थापना हुई व इस अध्यादेश को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के द्वारा विर्सित (एबोलिश) किया गया। इसके पूर्व राज. एक्ट संख्या 1 वर्ष 1951 के द्वारा राजस्थान राजस्व न्यायालय (क्षेत्राधिकार एवं कार्य पद्धति) अधिनियम दिनांक 23 जनवरी 1951 के तहत कार्यवाही की

जाती रही थी तथा यह 1951 का अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा विसर्जित किया गया एवं उक्त 1949 के अध्यादेश का अवलोकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। इस प्रकार पूर्व में स्थित भिन्न–भिन्न राजस्व मण्डलों को समाप्त कर सभी प्रकार के राजस्व मामलों में वर्तमान राजस्व मण्डल का फैसला सर्वोच्च माना गया व समस्त अधीनस्थ राजस्व विभाग एवं राजस्व न्यायालय इसकी देखरेख में पूर्णरूप से संचालित किये जाने लगे।

सर्वप्रथम एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य से इस राजस्व मण्डल का गठन किया जाकर यह राज्य की राजधानी जयपुर में स्थापित किया गया। वर्षे 1949 में सर्वप्रथम राजस्व मण्डल की स्थापना जयपुर के हवामहल के पृष्ठ भाग में जलेबी चौक में स्थित टाउन हॉल (जो राजस्थान विधानसभा का पूर्व भवन) में हुई थी। इस परिसर के पश्चात् राजस्व मण्डल के कार्यालय को जयपुर में ही गर्वमेन्ट हॉस्टल एम.आई. रोड़ में स्थानान्तरित किया गया, वहां से भी एम.आई. रोड़ पर ही अजमेरी गेट के बाहर रामनिवास बाग के एक छोर के सामने यादगार भवन (वर्तमान पुलिस कन्ट्रोल रूम) में, तथापि जयपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक खासा कोठी में स्थापित किया गया। जहां से वर्ष 1958 में राव कमेटी कर सिफारिश पर इसे अजमेर में तोपदड़ा स्कूल के पीछे स्थित शिक्षा विभाग के कमरों में स्थानान्तरित किया गया तथा दिनांक 26.1.1959 को वर्तमान परिसर को जवाहर स्कूल के निमित्त बन रहा था, उसमें स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया था, तब से यह कार्यालय दिनों–दिन वृहद रूप लेकर इसी परिसर में स्थापित है।

राजस्व मण्डल के कार्य एवं भूमिका – राजस्व मण्डल मुख्यतः दो प्रकार के कार्य निष्पादित करता है, यथा –

1. न्यायिक कार्य
2. प्रशासनिक कार्य

(1) न्यायिक कार्य:

राजस्व मण्डल राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है। यह विभिन्न भू–राजस्व से सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत विवादों का निपटारा करता है। ये अधिनियम जिनसे सम्बन्धित अपीलें, संशोधन एवं सन्दर्भों की शक्तियाँ मण्डल के पास है, निम्नलिखित है –

1. राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952
2. राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1953
3. राजस्थान जागीर निर्णय एवं कार्यवाही (वैधीकरण) अधिनियम, 1955
4. राजस्थान खातेदारी अधिनियम, 1955
5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
6. राजस्थान राजगामी सम्पति नियमन अधिनियम, 1956
7. राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम
8. राजस्थान वन अधिनियम
9. राजस्थान स्टैम्प राजस्थान
10. राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वादारी उन्मूलन अधिनियम, 1959

उल्लेखनीय है कि 1984 से पूरे राजस्व मण्डल को राजस्थान वाणिज्य कर अधिनियम, 1954 के अधीन भी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त थी। अगस्त 1984 में अजमेर में ही पृथक वाणिज्य कर अधिकरण की स्थापना के साथ ही राजस्व मण्डल की इस शक्ति को नवगठित संस्था को हस्तान्तरित कर दिया गया। इसी प्रकार राज्य में सम्भागीय आयुक्तों के पद के पुर्नस्थापना के साथ ही राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 तथा राजस्थान उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1950 के अधीन मामले राजस्व मण्डल के क्षेत्राधिकार से हटा कर सम्भागीय आयुक्तों को सौंप दिये गये।

राजस्व मण्डल राज्य के राजस्व के मामलों में अपील, संशोधन, एवं सन्दर्भ की उच्चतम न्यायिक संस्था है। किन्तु जहाँ यह संदेह हो कि मण्डल ने अपने क्षेत्राधिकार का अनुचित अथवा अवैधानिक उपयोग किया है अथवा जहाँ इसके क्षेत्राधिकार के मामले में

कोई अस्पष्टता अथवा विवाद हो तो, राजस्थान का उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसी अवस्था में उच्चतम न्यायलय का निर्णय ही अंतिम माना जायेगा तथा वह राजस्व मण्डल पर भी लागू होगा।

(2) प्रशासनिक कार्य:

राजस्थान का राजस्व मण्डलन राजस्व प्रशासन की शीर्ष संस्था है। राजस्व प्रशासन से सम्बन्धित सभी अधीनस्थ अधिकारी एवं संस्थएं इसी के नियन्त्रण में काग्र करते है। उल्लेखनीय है कि राजस्व प्रशासन से सम्बन्धित नीतियों एवं नियम काय निर्धारण राज्य का राजस्व विभाग (जो जयपुर स्थित शासन सचिवालय का एक अंग है) करता है, किन्तु इस सम्बन्ध में की जाने वाली पहल राजस्व मण्डल के सुझावों, सिफारिशों पर ही आधारित होती है।

राजस्व मण्डल के प्रमुख प्रशासनिक कार्य निम्न विषयों से सम्बन्धित है –

1. राजस्थान राज्य के राजस्व कानूनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करना तथा उससे सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्था पर निगरानी रखना।
2. तार्किक एवं मान्य आधारों पर राजस्व दरों का निर्धारण एवं पुर्ननिर्धारण
3. राजस्व अधिकारियों एवं संस्थाओं के कार्य–निष्पादन का समय–समय पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तथा उन पर आवश्यक नियन्त्रण
4. भू–राजस्व की वसूली प्रक्रिया एवं प्रशासन को वस्तु–निष्ठ, विवेकपूर्ण एवं कुशल बनाने हेतु निरन्तर निदेशन एवं पर्यवेक्षण। मुख्य रूप से इसमें जिलाधीश, एस.डी.ओ. तथा तहसीलदार कार्यालयों का निरीक्षण शामिल है।
5. भू–अभिलेखन की प्रक्रिया को अधिक सुसंगत एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु निर्देशन तथा नियन्त्रण,
6. भूमि तथा उसके प्रबन्धन से सम्बन्धित सांख्यिकी का संकलन एवं समेकन।
7. राजस्व नीति एवं प्रशाासन के सुधार सम्बन्धी विषयों पर राज्य सरकार को समय–समय पर परामर्श देना।
8. राजस्थान तहसीलदार सेवा का प्रशासन तथा इस सेवा के अधिकारियों का कार्मिक प्रबन्धन तथा
9. राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर तथा राजस्व प्रशिक्षण स्कूल, टोंक के प्रशासन का पर्यवेक्षण।

अतः राजस्व मण्डल एक न्यायाधिकरण होने के साथ एक प्रशासनिक संगठन भी है। एक न्यायिक संस्था के रूप में यह राजस्व न्यायालय का कार्य करता है। जिसके समक्ष अपीलें, संशोधन एवं सन्दर्भ के मामले आते है। भू–अभिलेखों तथा भू–राजस्व के मामलों में इसने न्यायिक दक्षता का परिचय दिया है। दीवाली प्रक्रिया पर आधारित इसकी कार्यवाही से निष्पक्षता को बल मिला है। साथ ही मण्डल कतिपय प्रशासनिक दायित्वों का भी वहन करता है। राज्य सरकार कई बार मण्उल प्रशासनिक दायित्वों में वृद्धि कर देता है।

राजस्व मण्डल का संगठन:

राजस्थान के राजस्व मण्डल की शक्तियाँ एवं भूमिका राजस्थान के भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 4 में वर्णित है। इस अधिनियम के अनुसार राजस्व मण्डल का एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते है जिनकी संख्या तीन से पन्द्रह के बीच हो सकती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उनका कार्यकाल भी उसके प्रसाद पर्यन्त रहता है। समस्त अधिकारी प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों भूमिकाएँ निभाते है। अध्यक्ष राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान 'संवर्ग' के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक होता है तथा इसका वेतन मुख्य सचिव के समान होता है। अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित योग्यताओं का उल्लेख अधिनियम में किया गया है –

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा का कम से कम 12 वर्ष का अनुभव प्राप्त अधिकारी।
2. राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा का अधिकारी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएँ रखता हो।
3. एक अधिवक्ता (एडवोकेट) जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।

उल्लेखनीय है कि प्रथम वर्ग में अब वे ही अधिकारी नियुक्त किए जाते है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर–टाइम स्केल के हों अर्थात् जिन्होंने लगभग 16 से 18 वर्ष का काल इस सेवा में पूर्ण किया हो। राजस्थान में यह प्रथा सी बन गई है कि सुपर

टाइम स्केल में आते ही एक आई.ए.एस. अधिकारी का स्थानान्तरण राजस्व मण्डल में किया जाता है जहाँ वह लगभग दो वर्ष कार्य करता है। तत्पश्चात् ही उसे अन्य सरकारी पदों पर स्थापित किया जाता है। इस प्रथा की अनुपालना राजस्व मण्डल में रिक्त स्थानों पर निर्भर करती है।

द्वितीय एव तृतीय वर्ग अर्थात् उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं को राजस्व मण्डल के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु सिफारिश एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाती है, जिसकी रचना इस प्रकार होती है –

1. राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश – अध्यक्ष
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष – सदस्य
3. राजस्थान राज्य का मुख्य सचिव – सदस्य
4. राजस्थान राजस्व मण्डल का अध्यक्ष – सदस्य
5. राजस्थान सरकार का प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग – सदस्य सचिव

समिति अधिवक्ताओं के चयन के बारे में सिफारिशें करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि जिन व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की जा रही है, उन्हें राजस्व कानून तथा प्रशासन का प्रचूर ज्ञान हो तथा उन्हें राज्य के न्यायिक एवं राजस्व न्यायालयों में राजस्व मुकदमों की पैरवी का अनुभव हो।

राजस्व मण्डल के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में मण्डल का अध्यक्ष मण्डल मुख्यालय स्थित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता हैं। मण्डल के विभिन्न अनुभागों के दक्षतापूर्ण काय्र हेतु आवश्यक निर्देश देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि मण्डल का कार्य अच्छे प्रबन्धन के सिद्धान्तों के अनुसार सम्पन्न हो। हस महत्वपूर्ण प्रशासनिक उत्तरदायित्व के वहन के अतिरिक्त मण्डल अध्यक्ष का प्रमुख न्यायिक कार्य भी है। यह उसका दायित्व एवं अधिकार है ि कवह मण्डल के मामलों की सुनवाई के लिये विभिन्न पीठों (बैंच) की रचना करे। अध्यक्ष स्वयं भी मामलों की सुनवाई कर राजस्व से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय की भाँति राजस्व मण्डल में भी मामलों की सुनवाई एवं उन पर निर्णय करने हेतु पीठ (बैंच) की व्यवस्था है। अधिकांश पीठें एक–सदस्यीय होती है। एक – सदस्यीय पीठों के निर्णयों के विरूद्ध सुनवाई द्वि–सदस्यीय पीठों में की जाती है। सम्पूर्ण मण्डल की पीठ का पूर्ण बैंच के रूप में गठन बहुत ही कम अवसरों पर होता है। इसकी आवश्यकता भी कम पड़ती है।

ऐसा अनुभव किया गया है कि राजस्व मण्डल के अध्यक्ष की योग्यता, प्रखरता, निष्ठा एवं नेतृत्व पर आयोग की कुशलता काफी मात्रा पर निर्भर करती है। कई बार ऐसे भी अध्यक्ष नियुक्त हुए है जिनके काल में मामलों का निबटारा सामान्य से दुगनी गति से हुआ है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के मण्डल सदस्यों के मध्य राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को बाँट दिया जाता है, जिनमें आने वाले जिलों के सम्बन्ध में वे निम्नलिखित उत्तरदायित्व निभाते है –

1. राजस्व प्रशासन के सम्बन्ध में निर्देशन एवं पर्यवेक्षण।
2. जिलाधीश के आदेशों के विरूद्ध अधीनस्थ राजस्व कार्यालयों के कार्मिकों की अपीलें सुनना।
3. राजस्व अपील अधिकरणों, जिलाधीश कार्यालय, कोषागार व अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण।

रजिस्ट्रार:

प्रशासनिक समन्वय हेतु राजस्व मण्डल में एक पंजीयक (रजिस्ट्रार) कार्य करता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अथवा चयन श्रृंखला का सदस्य होता है। रजिस्ट्रार ही मण्डल कार्य का मुख्य पर्यवेक्षक है तथा वह सभी अनुभागों पर प्रशासनिक

नियन्त्रण रखता है। राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल में वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत राजस्व मण्डल का कार्य सम्पन्न किया जाता है। इन्हीं प्रावधानों के अनुपालना हेतु रजिस्ट्रार सम्बन्धित नोटिसो की तामील करवाने, 'निर्विरोध', प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित आदेश जारी करने व उन्हें निबटाने, गवाहों को व्यय एवं भत्तों का भुगतान कराने, निर्णयों के संशोधन एवं पुनरावलोकर हेतु अपील तथा प्रार्थना पत्र स्वीकारने अन्य न्यायालयों को राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेशों को क्रियान्वयन हेतु भेजने आदि से सम्बन्धित कार्य रजिस्ट्रार द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। रजिस्ट्रार राजस्व प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियों जैसे सम्भागीय आयुक्त, जिलाधीशों, उपखण्ड अधिकारियों आदि से मण्डल की ओर से सम्प्रेषण एवं सम्पर्क का कार्य करता है। मण्डल के कार्मिक वर्ग, अधीनस्थ (तहसीलदार) सेवाओं की स्थापना, राजस्व प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन, कार्मिकों के स्थानान्तरण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि से जुड़े कार्यों को वही सम्पन्न करता है।

रजिस्ट्रार की सहायता के लिये कतिपय अन्य वरिष्ठ अधिकारी – दो अतिरिक्त रजिस्ट्रार, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, तीन उप–रजिस्ट्रार तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारी कार्यरत होते है जो विशिष्ट नियत कार्यों को सम्पन्न करते है।

राजस्व मण्डल के बहु–आयामी दायित्वों को देखते हुए उस के आन्तरिक प्रशासन को कई शाखाओं में बाँटा गया है जिनमें लगभग चार सौ अधिकारी कार्यरत है। ये अनुभाग इस प्रकार है –

1. स्थापना शाखा
2. राजस्व तहसीलदार सेवा शाखा
3. पेंशन शाखा
4. रिट शाखा
5. निरीक्षण शाखा
6. विभागीय जाँच शाखा
7. भू–अभिलेख शाखा
8. गोपनीय शाखा
9. सांख्यिकी शाखा
10. लेखा शाखा
11. न्याय शाखा
12. बिल शाखा
13. रिकार्ड शाखा
14. स्टोर शाखा

विभिन्न शाखायें अपने विषयों से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करती है। वे शाखा–अधिकारियों, उप– रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रार के अधीन कार्य करती है। मण्डल के सदस्य उन शाखाओं के कार्यों की निगरानी रखते है जिनका उन्हें प्रभारी बनाया गया है।

अतः राजस्व मण्डल एक न्यायाधिकरण होने के साथ एक प्रशासनिक संगठन भी है। एक न्यायिक संस्था के रूप में यह राजस्व न्यायालय का कार्य करता है। जिसके समक्ष अपीलें, संशोधन एवं सन्दर्भ के मामले आते है। भू–अभिलेखों तथा भू–राजस्व के मामलों में इसने न्यायिक दक्षता का परिचय दिया है।

निष्कर्ष : भूमिहीन किसानों को भू अधिग्रहण द्वारा प्राप्त जमीन को किसानों में वितरित करने से लाखों किसानों को जीवनयापन के साधन उपलब्ध हो गये। मरूस्थलीय क्षेत्रों में नहरों एवं सिंचाई परियोजनाओं द्वारा किसानों को भूमि आवंटित कर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया। स्वतन्त्रता पश्चात् राजस्थान निर्माण एवं भूमि सुधारों की क्रियान्विति ने राजस्व प्रशासन के कार्य एवं महत्व को अत्यधिक बढा दिया। सरकार ने राजस्व प्रशासन द्वारा नवीन भूमि सुधार नीतियां लागू कर सरकार व काश्तकारों

के मध्यस्थों व बिचौलियों को समाप्त कर ग्रामीणों व काश्तकारों से सीधा सम्पर्क स्थापित किया। 1949 मे राजस्व मण्डल राजस्व की स्थापना राजस्व प्रशासन के शीर्ष संस्थान के रूप में की गई। राजस्व मण्डल राजस्व प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है जो समस्त राजस्थान में राजस्व प्रशासन को संचालित एवं नियोजित करता है।

इस प्रकार राजस्व प्रशासन का महत्व स्वतः ही स्पष्ट है तथा राजस्व प्रशासन द्वारा राजस्व, विकास, कानून व्यवस्था, अकाल, बाढ, अग्नि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि के समय सहायता, चुनाव, जनगणना, पशुगणना आदि के समय राजस्व प्रशासन का महत्व और बढ गया है।

इसमें कोई संदेह नही कि राजस्व प्रशासन आज प्रशासनिक ढांचों का एक महत्वपूर्ण आधार एवं प्रभावशाली अंग है। यह प्रशासन का विराट एवं विशालकाय रूप है जिसका आधार ग्राम स्तर से लेकर तहसील, उपखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर विभिन्न स्तरों पर विद्यमान है। जिनका संवेदनशील प्रशासन का यह रूप सफल रहा है अन्य किसी भी विभागीय स्तर पर प्रशासन इसकी बराबरी नहीं कर सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ:

1. डॉ. प्रकाश इन्दालिया, शोध प्रबंध राजस्थान में राजस्व प्रशासन का संगठनात्मक एवं कार्यात्मक अध्ययन लोक प्रशासन, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर 2012
2. सुखवीर सिंह गहलोत, राजस्थान में राजस्व प्रशासन, राविरा अंक 85, राजस्व मण्डल राजस्थान
3. रिपोर्ट ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान, (1964–65), गवर्मेन्ट सेन्ट्रल प्रेस, नई दिल्ली
4. राजस्थान सामान्य ज्ञान, 2009, लूसेंट पब्लिकेशन, पटना,
5. डॉ. गिरवर सिंह राठौड, भारत में भूमि प्रशासन की संरचना 2008, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
6. गिरवरसिंह राठौड, भू राजस्व एवं भू अभिलेख प्रशासन 2008, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
7. यू.एन.गोयल, राजस्व मण्डल राजस्थान – एक परिचय राविरा अंक 85
8. डॉ. एस.एल. वर्मा, राजस्व मण्डल राजस्थान, राविरा अंक 85
9. रमेश अरोडा, गीता चतुर्वेदी, भारत में राज्य प्रशासन
10. गिरवरसिंह राठौड, भूमि विधियों एवं राजस्व न्यायालय प्रशासन 2008 पंचशील प्रकाशन, जयपुर